न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे0मि0 केस नं0– 15/21–22

मो0 सलीम वगै0 बनाम् 16 आना रैयात, मौजा–डोय

–: आदेश :–

21.06.2022

वर्त्तमान वाद की कार्रवाई आवेदक मो0 सलीम, पे0–स्व0 शे0 फकरूद्दीन व मो0 कमाल आलम, पे0–मो0 सलीम, दोनों सा0–डोय, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में मौजा–डोय नं0–321, जमाबंदी नं0–51, दाग नं0–694, 221, 431, 435, रकवा–01–05–17 धूर भूमि पर विपक्षी 16आना रैयत, मौजा–डोय से बसगढ़ी कराने हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि पर आवेदक का पूर्व से कब्जा है, जिसपर आवेदक शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार चले आ रहे हैं। आवेदक द्वारा उक्त दाखिल वाद स्वीकृत करते हुए प्रासंगिक भूमि बसगढ़ी का अनुरोध किया गया है।

उक्त वाद में मौजा–डोय के 16 आना रैयतों के द्वारा कोई अभिरूचि नहीं दिखायी गई है और न 16 आना रैयत सुनवाई के कम में न्यायालय में उपस्थित हुए हैं।

वाद में केवल आवेदक के याचिका पर आदेश पारित करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

Seen
Md. Saud Ali Adv.
10/10/2022

लेखापित एवं संशोधित।

21.06.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

21.06.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 17:14:51 +05:30
Location: 192.168.196.157

F/Order.